16/4/18 आज याचिकाकर्ता पक्ष कुछ नहीं वादी स्वयं या वकील वादी कोई उपस्थित नहीं आये। बार-बार आवाज लगवाई गई अंतिम बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आये नाही कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित आये। अतः पीठासीन के कार्य की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर रोक दी जाती है। फैसलशुदा होने के कारण यह वाद खारीज की जाती है। फैसलशुदा होने के कारण यह वाद तकमील जमा किया लेख गया है। सुनाया गया।